(c) The position is being reviewed

सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड में जनरल मैनेजर

3393 श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड में जनरल मैनेजरों की संख्या कितनी है और वे अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में कब से काम कर रहे हैं ;

(ख) जनरल मैनेजरों के क्षेत्र में कितने वर्षों तक कार्यरत रहने का प्रावधान है ; और

(ग) ऐसे जनरल मैनेजरों की संख्या कितनी है जो एक क्षेत्र में निर्धारित अवधि से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और इसका क्या औचित्य है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० में क्षेत्रीय महाप्रबंधकों की संख्या आठ है और वर्तमान पदधारी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में सितम्बर 1974 और जून 1978 के बीच की अलग अलग तारीखों से काम कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) महाप्रबंधक के एक ही क्षेत्र में रहने की अवधि के बारे में कोई खास नियम नहीं है । इनका तबादला आवश्यकतानुसार काम की जरूरत और प्रशासनिक कारणों से किया जाता है ।

Strike in Textile Mills in Bombay

3394 SHRI P RAJAGOPAL NAIDU Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state

(a) whether there was a strike in the textile mills run by National Textile Corporation in Bombay and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) (a) Yes Sir

(b) Some of the demands included continuity of service for the purpose of payment of gratuity in seven mills in Maharashtra which had gone into liquidation or had been wound up under orders of Law Courts prior to nationalisation, payment of arrears of Provident Fund for pre-nationalisation and post-take-over period

दोषपूर्ण सीमेंट वितरण प्रणाली

3395 श्री यज्ञ दत्त शर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सीमेंट वितरण प्रणाली के दोषपूर्ण होने के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सीमेंट के वितरण को सरकारी क्षेत्र में न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में सीमेंट की कमी

3396 श्री लालजी भाई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में सीमेंट उपलब्ध नहीं है तथा मकानों की मरम्मत करने के लिए भी सीमेंट नहीं मिलता ;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन की ओर से लोगों को अपने मकानों की तुरन्त मरम्मत कराने के नोटिस दिए जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में पूरे तथ्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) दिल्ली में अनुभव की जा रही सीमेंट की कमी समस्त देश में सप्लाई से माग अधिक होने के कारण सम्पूर्ण कमी का एक अंग है । फिर भी दिल्ली में 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1978 में प्राप्त सीमेंट की तुलना में 1 अप्रैल 1977 से 31 मार्च 1978 की अवधि में वस्तुतः लगभग 53 प्रतिशत अधिक सीमेंट आया । दिल्ली में सीमेंट का वितरण करने की प्रक्रिया इस समय इस प्रकार विनियमित की गई है कि आम जनता को देने हेतु खुली बिक्री के लिए मिल सीमेंट का परिमाण 30 प्रतिशत मरम्मत के कारण लिए रखा/रिजर्व पर दिए जाने के लिए पूर्वनिर्धारित कर दिया जाता है । मकानों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों के प्रमुख मरम्मत कार्य के लिए भी सीमेंट देने की व्यवस्था की गई है । रेल से माल भिजवाने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए सीमेंट को सड़क से ले जाने की भी व्यवस्था कर दी गई है ।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर पालिका निगम अधिनियम 1957 की धारा 348 के अधीन जब कभी भी जीर्ण शीर्ण मकानों की मरम्मत करना जरूरी हो जाता है तो दिल्ली नगरपालिका निगम के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा नोटिस जारी कर दिए जाते हैं ।